

रसेल वाइपर साँप

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बहिर में एक व्यक्तीने सभी को चौंका दिया जब वह अस्पताल में उस खतरनाक साँप (रसेल वाइपर) के साथ आया, जसिने उसे काट लिया था।

मुख्य बदि

- रसेल वाइपर:
 - रसेल वाइपर (दबौया साँप) भारत के सबसे खतरनाक साँपों में से एक है। इसका जहर हेमोटॉक्सिक होता है, जसिसे आंतरिक रक्तस्राव, मांसपेशियों को नुकसान और गुर्दे की वफिलता हो सकती है।
 - यदि उपचार न कयिा जाए तो इस साँप के काटने से मृत्यु हो सकती है तथा इसके लक्षण गंभीर दर्द, सूजन और रक्तस्राव हो सकते हैं।
- वषि और प्रतवषि:
 - वषि की संरचना: रसेल वाइपर का वषि रक्त के थक्के को बाधति करता है, जसिसे आंतरिक रक्तस्राव होता है।
 - एंटीवेनम उत्पादन: साँपों से वषि निकाला जाता है, जानवरों (आमतौर पर घोड़ों) में इंजेक्ट कयिा जाता है, जो फरि एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं। इन एंटीबॉडी को एंटीवेनम बनाने के लयिे निकाला जाता है।
- WPA, 1972 के तहत कानूनी संरक्षण:
 - वन्यजीव संरक्षण अधनियिम (WPA), 1972 को अनुसूची II के अंतर्गत संरक्षति वन्यजीव के रूप में वर्गीकृत करता है।
 - बनिा अनुमतकिे इन साँपों को संभालना, पकड़ना या नुकसान पहुँचाना अवैध है।

वन्यजीव (संरक्षण) अधनियिम, 1972

- वन्यजीव (संरक्षण) अधनियिम, 1972 जंगली जानवरों और पौधों की वभिन्नि प्रजातयिों के संरक्षण, उनके आवासों के प्रबंधन, जंगली जानवरों, पौधों और उनसे बने उत्पादों के व्यापार के वनियिमन एवं नयितरण के लयिे एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- अधनियिम में उन पौधों और जानवरों की अनुसूचयिों भी सूचीबद्ध की गई हैं जनिहें सरकार द्वारा अलग-अलग स्तर पर संरक्षण और नगिरानी प्रदान की जाती है।
- वन्यजीव अधनियिम, 1972 द्वारा CITES (वन्य जीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातयिों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अभसिमय) में भारत का प्रवेश आसान बना दिया गया।
- इससे पहले, जम्मू-कश्मीर वन्यजीव संरक्षण अधनियिम, 1972 के अंतर्गत नहीं आता था। पुनर्गठन अधनियिम के परिणामस्वरूप अब भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधनियिम, 1972 जम्मू-कश्मीर पर लागू होता है।